केजीएस अस्पताल, डाक घर: कैगा, उत्तर कन्नड जिला, कर्नाटक KGS Hospital, PO: Kaiga, Uttar Kannada Dist., Karnataka-581400
मोबाइल Mobile : 9413358493 इंटरकाम Intercom : 6521, ईमेल E-mail : tusharpdighe@npcil.co.in
निगम पहचान सं Corporate Identity No. (CIN): U40104MH1987GOI149458 वेबसाइट website: www.npcil.nic.in

केजीएस अस्पताल में विजिटिंग परामर्शदाता (फिजीशियन) को एम्पेनल्मेंट में रखने के संबंध में
EMPANELMENT OF VISITING CONSULTANT (PHYSICIAN) AT KGS HOSPITAL

ईओआई सं: **EOI NO:** केजीएस**KGS/**चिकित्सा**MED/**ईओआई**EOI/06/2026**

अनुक्रमणिका INDEX

क्र.सं.Sl. No.	अनुभागों का विवरण Description of Sections	पृ.सं. Page nos.
1.	रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने की सूचना Notice Inviting Expression of Interest	2 to 3
2.	परिचय Introduction	4
3.	पूर्व-योग्यता मापदंड Pre-qualification criteria	5-6
4.	आवेदन प्रपत्र (अनुलग्नक ए, बी) Application Format (Annexure A, B)	7-10
5.	सामान्य सूचना- ईओआई General Information - EOI	11-13
6.	करार प्रपत्र – सूचनार्थ एवं बाद में प्रस्तुत करने हेतु (संलग्नक- V) Agreement proforma - for information and to be submitted later (Annexure-V)	14-22

केजीएस चिकित्सालय में विजिटिंग परामर्शदाता के रूप में पैनल में शामिल करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने की सूचना के संबंध में।

NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST (EoI)

FOR EMPANELMENT VISITING CONSULTANT AT KGS HOSPITAL

एनपीसीआईएल, कैगा स्थल केजीएस अस्पताल में अपने सीएचएसएस लाभार्थियों और उनके आश्रितों को केजीएस अस्पताल में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए पात्र अभ्यर्थियों को विजिटिंग परामर्शदाता के रूप में रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करता है।

NPCIL Kaiga Site invites Expression of Interest (EOI) from eligible Visiting Consultant at KGS Hospital to empanel for extending the medical facilities to the CHSS beneficiaries and their dependents of Kaiga Site:

क्र.सं. Sl.No.	विजिटिंगविशेषज्ञों /परामर्शदाताओं की विधा Discipline of Visiting Specialists /Consultants	ईओआई सं. EoI No.	शैक्षणीक अर्हता Educational Qualification
1	**फिजीशियन PHYSICIAN**	EoI No.KGS/MED/EOI/06/2026	एमबीबीएस, एमडी (जनरल मेडीसीन) या एमबीबीएस, डीएनबी (जनरल मेडीसीन) MBBS, MD (General Medicine) Or MBBS, DNB (General Medicine)

उपरोक्त विजिटिंग विशेषज्ञों/परामर्शदाताओं के पास उनके संबंधित परिषद से वैध पंजीकरण होना आवश्यक है।
The above Visiting Specialists / Consultants should have valid registration from their respective councils.

ईओआई दस्तावेज़ हमारी वेबसाइट: www.npcil.nic.in से डाऊनलोड किए जा सकते हैं अथवा इसकी प्रति प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, केजीएस चिकित्सालय, कैगा टाउनशिप, पोस्ट ऑफ़िस: कैगा, जिला उत्तर कन्न्ड, के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

The EOI document may be downloaded from our Website: www.npcil.nic.in or copy can be collected from the office of Medical Officer In-charge, KGS Hospital, Kaiga Township, PO: Kaiga, Distt. Uttar Kannada.

विधिवत रूप से भरे गए दस्तावेज़ स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जाने चाहिए या प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, केजीएस चिकित्सालय, कैगा टाउनशिप, पोस्ट ऑफ़िस: कैगा, जिला उत्तर कन्नड, कर्नाटक – 581400 के कार्यालय में सीलबंद लिफ़ाफे में व्यक्तिगत रूप से दिनांक **12.08.2026 को 19:00** बजे तक प्रस्तुत करें।

The duly filled in documents must be sent through speed post or submitted personally in sealed envelope in the office of Medical Officer In-Charge, KGS Hospital, Kaiga Township, PO: Kaiga, Distt. Uttar Kannada, Karnataka - 581400 latest by **12.08.2026 (19.00 hours).**

ईओआई से संबंधित और अधिक जानकारी/ शुद्धिपत्र / परिशिष्ट आदि https://www.npcil.nic.in पर अपलोड किया जाएगा। कृपया इन वेब पोर्टलों को देखते रहें।

Any further information/corrigendum/addendum, etc. pertaining to EOI will be uploaded on https://www.npcil.nic. Please keep referring these web portals.

.

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी **Medical Officer In-Charge**
केजीएस चिकित्सालय **KGS Hospital**

दावात्यागकर्ता DISCLAIMER

यह रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) परमाणु ऊर्जा के अंतर्गत आनेवाले भारत सरकार के उद्यम न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड(एनपीसीआईएल) द्वारा जारी किया गया है। This Expression of Interest (EOI) is issued by the Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL), Government of India Enterprises under Department of Atomic Energy.

यह ईओआई केवल केजीएस अस्पताल में विजिटिंग परामर्श के लिए है, जो ईओआई दस्तावेज में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुरूप अपने प्रत्यय-पत्र (क्रेडेंशियल) प्रस्तुत करना चाहते हैं। हालांकि इस ईओआई में दी गई जानकारी सद्भावनापूर्वक तैयार की गई है, लेकिन इसका तात्पर्य व्यापक नहीं है और न ही इसे स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया गया है। This EOI is meant only for Visiting Consultant at KGS Hospital who intend to submit their credentials in line with the terms and conditions set forth in EOI document. While the information in this EOI has been prepared in good faith, it is not and does not purport to be comprehensive or to have been independently verified.

इस ईओआई में दी गई जानकारी चिन्हित है। प्रत्येक इच्छुक आवेदक को इस ईओआई में दी गई जानकारी का स्वयं विश्लेषण करना चाहिए या इसमें मौजूद किसी भी अशुद्धि को ठीक करें और उन्हें केजीएस अस्पताल में विजिटिंग परामर्श के लिए प्रस्तावित पैनल में स्वयं जांच करने की सलाह दी जाती है। The information in this EOI is selective. Each interested applicant must conduct their own analysis of the information contained in this EOI or to correct any inaccuracies therein that this EOI may contain and is advised to carry out their own investigation into the proposed empanelment for Visiting Consultant at KGS Hospital.

इस ईओआई के अनुलग्नक-**V** में विजिटिंग परामर्श के बीच चिकित्सा सुविधा का लाभ लेने संबंधी समस्त शर्तों के विवरण निहित है, के करार को एनपीसीआईएल कैगा स्थल एवं विजिटिंग परामर्शदाता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। करार में दर्शाई गई शर्तों एवं नियमों में कोई विचलन स्वीकार नहीं किया जाएगा। An agreement as provided at Annexure-V of this EOI detailing all terms and conditions for availing the medical facility shall be signed between the NPCIL Kaiga Site and the Visiting Consultant. No deviation to terms and conditions indicated in the agreement shall be accepted.

हिंदी रूपांतरण में किसी प्रकार की अस्पष्टता/विसंगति होने की स्थिति में सभी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा। In case of any ambiguity / dispute arising on account of interpretation in Hindi version, the English version shall prevail for all purposes.

1. एनपीआईएल कैगा स्थल – एक परिचय

NPCIL KAIGA SITE – AN INTRODUCTION:

एनपीसीआईएल, परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र (सीपीएसई) का एक अग्रणी उद्यम है, जो कि भारत में एकछत्र नाभिकीय रिएक्टरों के लिए स्थल चयन, अभिकल्पन, निर्माण, कमीशनिंग, प्रचालन, अनुरक्षण, नवीनीकरण, आधुनिकीकरण तथा अपग्रेडेशन, संयंत्र आयु विस्तार, अपशिष्ट प्रबंधन एवं डिकमीशनिंग की व्यापक क्षमता रखता है। **NPCIL, a premier Central Public Sector Enterprise under the Department of Atomic Energy, Government of India has comprehensive capability in all facets of nuclear technology namely, Site Selection, Design, Construction, Commissioning, Operation, Maintenance, Renovation, Modernization & Up-gradation, Plant Life extension, Waste Management and Decommissioning of Nuclear Reactors in India under one roof.**

1.1 कैगा साइट के बारे में: ABOUT KAIGA SITE:

कैगा साइट कारवार शहर से लगभग 55 किलोमीटर पूर्व में, कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में काली नदी के पास स्थित कदरा बांध के ऊपरी हिस्से में 13 किलोमीटर और हुब्बली-धारवाड़ और बेलगाम से 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।**Kaiga Site** is located about 55 KM east of Karwar town, 13 KM on the upper side of Kadra Dam situated near the River Kali in Uttar Kannada District Karnataka State and 150 Kms from Hubballi-Dharwad and Belgaum.

1.1.1 कैगा टाउनशिप में कैगा साइट का अपना एक चिकित्सालय है। यह लगभग 8500 लाभार्थियों को सेवा प्रदान करता है। हमारे चिकित्सालय में सभी चिकित्सा और कुछ शल्य चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। कुछ रोगियों को उपचार और व्यवस्था के लिए द्वितीयक और तृतीयक स्तर के केंद्रों और उच्च नैदानिक सुविधाओं के लिए रेफर किया जाना आवश्यक होता है, जो केजीएस अस्पताल में उपलब्ध नहीं हैं। Kaiga site has its own hospital at Kaiga Township. It caters to around 8500 beneficiaries. All medical and some surgical facilities are available at our hospital. Some of the patients are required to be referred to the secondary & tertiary level centers and higher diagnostic facilities for treatment and management which are not available in KGS Hospital.

इच्छुक विजिटिंग परामर्शदाता इस दस्तावेज़ में दिए गए निर्धारित आवेदन प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं। The interested Visiting Consultant may apply on the prescribed Application Format provided in this document.

विजिटिंग परामर्शदाताओं के लिए पूर्व-योग्यता मापदंड (फिजीशियन)

PRE-QUALIFICATION CRITERIA FOR VISITING CONSULTANTS

(PHYSICIAN)

1.	**शैक्षणिक योग्यता** **Educational Qualification –**	**विजिटिंग परामर्शदाता (फिजीशियन)** **Visiting Consultant (PHYSICIAN)**	एमबीबीएस, एमडी (जनरल मेडिसिन) या एमबीबीएस, डीएनबी (जनरल मेडिसिन) MBBS, MD (General Medicine) Or MBBS, DNB (General Medicine)
2.	**संबंधित क्षेत्र में अनुभव** **Experience in relevant field –**	**पोस्ट डिप्लोमा के लिए केवल न्यूनतम 5 वर्ष** **Minimum 5 years for Post Diploma only**.	
3.	**आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज** **Document to be enclosed along with Application form –**	i. किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी फोटो आईडी Photo I/D issued by any Govt. Authority. ii. पता प्रमाण (आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आदि) Address proof (Aadhar card, Driving license, Voters card, etc.) iii डिग्री प्रमाणपत्र Degree certificate. iv नियोक्ता/संस्था द्वारा जारी सुसंगत क्षेत्र में अनुभव प्रमाण पत्र Experience certificate in relevant field issued by employer / institution. निजी प्रैक्टिस के मामले में, संलग्न प्रपत्र (अनुलग्नक-बी) में लेटरहेड पर सुसंगत क्षेत्र में अनुभव की स्वघोषणा संलग्न की जानी चाहिए। In case of Private Practice, **self-declaration** of experience in relevant field on Letterhead should be enclosed **in attached format (ANNEXURE-B)**.	
		v. मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र। (प्रमाण पत्र आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए)। यदि पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त हो गई है और पंजीकरण का नवीनीकरण लंबित है, तो चयनित उम्मीदवार को करार निष्पादित करने से पहले पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने का प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए। Registration Certificate issued by Medical Council of India. (Certificate should be valid on the last date of submission of application).	

		In case of validity of Registration Certificate is expired and renewal of registration is pending, the selected candidate should provide the proof of applying renewal of registration before executing the agreement.

Note:-

1. केवल पात्र उम्मीदवार जो उपरोक्त पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं, वही इस पद के लिए आवेदन करें। Only eligible candidates who meet the above Pre-Qualification criteria should apply for this post.
2. उपर्युक्त पद पूरी तरह से संविदात्मक आधार पर है और एनपीसीआईएल कैगा साइट और विजिटिंग परामर्शदाता के बीच हस्ताक्षरित संविदा करार की शर्तों और नियमों का पालन किया जाएगा। Above post is purely on contractual basis and will be adhered to the terms & conditions of contract agreement to be signed between NPCIL Kaiga Site & Visiting Consultant.
3. न्यूनतम 20 रोगियों के लिए प्रति विज़िट परामर्श शुल्क का उल्लेख किया जाना है और यदि परामर्श प्राप्त करने वाले रोगियों की संख्या 20 से कम है तो भी यह देय होगा। Consultation charges per visit for minimum 20 patients is to be quoted and the same will be payable even if number of patients availing consultation is less than 20.
4. प्रति रोगी परामर्श शुल्क भी बताना है जो 20 रोगियों के लिए उद्धृत परामर्श शुल्क (जैसा कि ऊपर क्र.सं. 3 में उल्लिखित है) के अतिरिक्त रोगियों की वास्तविक संख्या पर देय होगा, यदि किसी भी विज़िट में रोगियों की संख्या 20 से अधिक है। Consultation charges per patient also to be quoted which will be payable on actual number of patients in addition to the consultation charges quoted for 20 patients (as mentioned at sl.no. 3 above), if the patients exceeds 20 in any visit.

आवेदन प्रपत्र APPLICATION FORM

विजिटिंग परामर्शदाता के लिए (फिजीशियन)

FOR VISITING CONSULTANT (PHYSICIAN)

(सीलबंद कवर पर ' विजिटिंग परामर्शदाता फिजीशियन ' के लिए ईओआई लिखकर

सेवा में: प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, केजीएस अस्पताल, डाकघर: कैगा, जिला: उत्तर कन्नड़ – 581400, कर्नाटक को भेजा जाए)

(To be sent in a sealed cover mentioning - 'EOI for Visiting Consultant PHYSICIAN' to:

Medical Officer In-charge, KGS Hospital, P.O: Kaiga, Dist.: Uttar Kannada– 581400, Karnataka)

(कृपया सभी कालमों में विवरण भरें। अपूर्ण भरे फार्म पर विचार नहीं किया जाएगा। Kindly fill up all the columns. Incompletely filled form will not be considered)

विज्ञापन नोटिस सं. Advertisement Notice No.	: ईओआई सं EOI No. केजीएस/चि/ईओआई/006/2026 **KGS/MED/EOI/006/2026**	छायाचित्र Photograph
पद का नाम Name of the Post	: विजिटिंग परामर्शदाता – **फिजीशियन** VISITING CONSULTANT – **PHYSICIAN**	
1. आवेदक का पूरा नाम बड़े अक्षरों में Applicant Full Name (In Capital Letters)	:DR. ______________________________	
2. जन्म की तारीख Date of Birth	:	
2. लिंग Gender:	: पुरुष / महिला Male / Female	
3. पता Address	:	

4. मोबाइल सं Mobile No.	:
5. ई-मेल पता e-mail Address	:
6. चिकित्सा अर्हताएं Medical Qualifications	:
7. पंजीकरण सं. Registration Number	:

8. अर्हता विवरण Qualification details -

क्र. सं. Sr.No.	उत्तीर्ण परीक्षा Exam Passed	कॉलेज / विश्वविद्यालय का नाम Name of College / University	उत्तीर्ण वर्ष Year of passing	अध्ययन की अवधि Duration of course
1				
2				
3				
4				
5				

9. अर्हता के पश्चात वर्षों में कुल अनुभव Total experience in Years post qualification

10. अनुभव का विवरण (वर्तमान / अंतिम नियोजन से)

Experience Details (starting from present/ last employment):

क्र.सं. Sr.No.	नियोक्ता का नाम Name of the Employer	धारित पद Post Held	दिनांक से From Date	दिनांक तक To Date	कुल Total	
					वर्ष Year	महीना Month
1						
2						
3						
4						

11. विजिटिंग परामर्शदाता का आने का क्रम	हफ्ते में एक बार /15 दिन में एक बार / महीने में एक बार

Frequency of Visiting consultant	(करार के समय सूचित किया जाएगा। : **Weekly once / Fortnightly once / Monthly once (will be intimated at the time of Agreement)**
12. विजिटिंग समय Visiting time	सायंकाल के दौरान तीन घंटे। समय सूचित किया जाएगा। Three hours during evening. Timings will be notified.
13. प्रत्येक विजिट में 20 रोगियों के लिए परामर्श प्रभार Consultation Charges per visit for minimum 20 patients	Rs... (in words) .... Rs... (in figure)..
14. 20 से अधिक रोगियों के लिए परामर्श प्रभार Consultation charges per patient beyond 20 patients	Rs... (in words) .... Rs... (in figure)..
15. प्रत्येक विजिट के ट्रान्सपोर्टेशन प्रभार, यदि कोई हो तो Transportation charges per visit, if any	Rs... (in words) .... Rs... (in figure)..
16. संविदा की अवधि Tenure of Contract	03 (तीन) वर्ष 03 (Three) years.
17. अन्य कोई अभ्युक्तियाँ Any other Remarks	

दिनांक Date :

हस्ताक्षर
Signature:

नाम Name:

पत्रशीर्ष (लैटर हैड) पर अनुभव की स्व-घोषणा

SELF DECLARATION OF EXPERIENCE ON LETTER HEAD

(प्राइवेट अभ्यास के मामले में प्रस्तुत किया जाए **To be submitted in case of private practice)**

मैं, डॉ..., एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं निम्न उल्लिखित पते पर गत .... वर्षों से अपने प्राइवेट अस्पताल / क्लिनिक में पंजीकृत चिकित्सा प्रेक्टिशनर(आरएमपी) के रूप में कार्यरत हूँ।

I, Dr. ...., hereby declare that I am a Registered Medical Practitioner (RMP), practicing at my Private Hospital/ Clinic at the address mentioned below since last years.

मैं एतद्द्वारा यह भी घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त अवधि पर मैंने अपने कार्यक्षेत्र / विशेषज्ञता में क्लिनिकल अनुभव प्राप्त किया है।

I also hereby declare that I have gained clinical experience in my discipline / specialty during the above period.

प्राइवेट अस्पताल/क्लिनिक का नाम Name of Private Hospital/ Clinic	
पूर्ण पता Full Address	
पंजीकरण सं. Registration Number	
ई-मेल आईडी E-Mail id	
संपर्क सं. Contact No.	:

दिनांक Date: हस्ताक्षर Signature:

नाम Name:

02 सामान्य जानकारी और निर्देश GENERAL INFORMATION & INSTRUCTIONS:

2.1 एनपीसीआईएल कैगा साइट विज़िटिंग परामर्शदाता के पैनल के लिए उल्लिखित आवश्यकता को पूरा किए जाने की शर्त के अधीन यह ईओआई जारी करता है।
NPCIL Kaiga Site floats this EOI for empanelment of Visiting Consultant subject to fulfilling the requirement as stated above.

2.2 आवेदकों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन जमा करने से पहले ईओआई दस्तावेज़ की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। अधूरे आवेदनों को अस्वीकृत किया जाएगा।
Applicants are expected to examine the EOI document carefully before submission of the application. Incomplete applications will be summarily rejected.

2.3 यह माना जाएगा कि आवेदन जमा करने से पहले, आवेदक ने:
It would be deemed that prior to submission of the Application, the applicant has:

i. इस ईओआई अनुरोध दस्तावेज़ में निर्धारित आवश्यकताओं और अन्य जानकारी की पूरी तरह और सावधानीपूर्वक जांच की है। Made a complete and careful examination of requirements and other information set forth in this EOI request document.

ii. एनपीसीआईएल कैगा साइट से अनुरोध की गई सभी प्रासंगिक जानकारी प्राप्त की है। Received all such relevant information as it has requested from NPCIL Kaiga Site.

2.4 आवेदक को अपने आवेदन तैयार करने तथा प्रस्तुत करने से संबंधित सभी खर्चों का वहन करना होगा। The applicant shall bear all costs associated with the preparation and submission of their application.

2.5 आवेदक एनपीसीआईएल कैगा स्थल से बिना पूर्व लिखित अनुमति के तीसरे पार्टी को कोई भी गोपनीय जानकारी प्रकट नहीं करेगा। The applicant shall not disclose confidential information to any third party without prior written approval of NPCIL Kaiga Site.

2.6 एनपीसीआईएल कैगा स्थल को सहायक दस्तावेजों के सत्यापन हेतु आवेदक को बुलाए जाने का अधिकार है, यदि आवश्यक होने पर, आवेदक द्वारा अपने पिछले ग्राहकों आदि से दिए गए किसी भी विवरण की क्रॉस-चेकिंग भी की जा सकती है। आवेदकों को इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

NPCIL Kaiga Site reserves the rights to call for the supporting documents for verification if so deemed also cross-check for any details as furnished by the applicant from their previous clients etc. The applicants shall not have any objection whatsoever in this regard.

2.7 पार्टी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के साथ उनके योग्यता और अनुभव के समर्थन दस्तावेज संलग्न होने चाहिए। सभी लिफाफे अनिवार्य रूप से सीलबंद होने चाहिए और उन पर '' **केजीएस अस्पताल में फिजीशियन विजिटिंग परामर्शदाता के लिए ईओआई** '' लिखा जाना चाहिए। The application submitted by the party shall comprise the documents in support of Qualification and experience. All the envelopes should compulsorily be sealed & superscribed with **EOI for Visiting Consultant for Physician at KGS Hospital.**

3. आवेदनों का मूल्यांकन और मिलान

EVALUATION AND COMPARISION OF APPLICATIONS

अस्पताल पैनल समिति, जैसे मामले के अनुसार, आवेदन प्रपत्र मापदंड के आधार पर दिए गए ईओआई में आवेदनों की क्रॉस-चेकिंग करेगी। समिति की सिफारिशों के अनुसार आवेदनों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और पैनल में आगे की प्रक्रिया हेतु आवेदनों की स्क्रीनिंग की जाएगी। The Hospital Empanelment Committee will cross check the applications in the given EOI based on the application format criteria as the case may be. As per recommendations of Committee, applications will be shortlisted and screened in applications will be opened for further process of empanelment.

4. अवार्ड मापदंड AWARD CRITERIA

कॉर्पोरेशन उस विजिटिंग परामर्शदाता को पैनल में शामिल करेगी, जिसका मूल्यांकित ईओआई तकनीकी रूप से उपयुक्त और वित्तीय रूप से सबसे कम पाया गया है और जो ईओआई दस्तावेज के प्रति मूर्त रूप से उत्तरदायी है, तथापि, आवेदक संतोषजनक रूप से समझौते के कार्यान्वयन हेतु पात्र है। The Corporation shall empanel the visiting consultant whose evaluated EOI has been determined to be technically suitable and financially lowest and is substantially responsive to the EOI document, provided further that the applicant is determined to be qualified to execute the agreement satisfactorily.

5. भ्रष्ट एवं धोखाधड़ीपूर्ण पद्धतियाँ: CORRUPT & FRAUDULENT PRACTICES:

यह अपेक्षित है कि संविदा निष्पादन के दौरान नैतिकता के उच्च मानक का अनुपालन करना है, जिनका उल्लेख '' भ्रष्ट एवं धोखाधड़ीपूर्ण पद्धतियाँ '' नीति में, नीचे परिभाषित किया गया है: It is expected that applicants observe the highest standard of ethics during the execution of the contract in pursuance to the policy of "Corrupt & Fraudulent Practices", that is defined as follows:

i. ''भ्रष्ट पद्धति" अर्थात संविदा निष्पादन के समय एक लोक अधिकारी की कार्रवाई को प्रभावित करने हेतु किसी मूल्यवान वस्तु का देना या लेना अथवा अपेक्षा करना।
"Corrupt practice" means the offering, receiving or soliciting of anything of value to influence the action of a public official in the contract execution.

ii. ''धोखाधड़ीपूर्ण पद्धति" अर्थात एनीसीआईएल के नुकसान के लिए संविदा के निष्पादन को प्रभावित करने के लिए तथ्यों का गलत प्रस्तुतिकरण और इसमें आवेदकों के बीच मिलीभगत वाली पद्धतियाँ (ईओआई प्रस्तुत करने से पूर्व या बाद में) शामिल हैं, जो कृत्रिम ग़ैर-प्रतिस्पर्धा स्तरों पर आवेदन प्रक्रिया स्थापित करने और एनपीसीआईएल को स्वतंत्र और खुली प्रतिस्पर्धा के लाभों से वंचित करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। Fraudulent practice" means a misrepresentation of facts to influence the execution of a contract to the detriment of NPCIL and includes collusive practices amongst the applicants (prior to or after EOI submission) designed to establish application process at artificial non-competition levels and to deprive NPCIL of the benefits of free and open competition.

यदि यह पता चलता है कि जिस आवेदक अथवा एजेंसी को कार्य प्रदान किया गया है वह भ्रष्ट अथवा धोखाधड़ी रीतियों में लीन है, तो एनपीसीआईएल द्वारा कार्य प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को निरस्त किया जाएगा|

NPCIL will reject a proposal for award of work, if it is determined that any applicant or the agency to whom the work has been awarded is engaged in corrupt or fraudulent practices.

6. एनपीसीआईएल कैगा स्थल के पास किसी आवेदन को अस्वीकृत करने का अधिकार है, यदि:

NPCIL Kaiga Site reserves the right to reject any application if:

- **i.** किसी भी समय एक आवेदक के लिए कोई अत्यंत गलत कथन दिया जाता है या उजागर होता है, के लिए, At any point of time, a material misrepresentation is made or uncovered for an applicant.

- **ii.** आवेदक आवेदन के मूल्यांकन हेतु अपेक्षित अतिरिक्त/पूरक जानकारी के अनुरोधों का तत्परता एवं पूर्ण रूप से प्रत्युत्तर नहीं देता है। The applicant does not respond promptly and thoroughly to requests for supplemental information required for the evaluation of the Application.

7. करार AGREEMENT:

अंतिम करार पर, परामर्शदाता के साथ एनपीसीआईएल – कैगा स्थल के वरिष्ठ प्रबंधक /प्रबंधक (मा.सं.) द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा । परिशिष्ट- V में दिए गए प्रपत्र में पैनल हेतु शामिल करने के लिए यथास्थिति अनुमोदित किया जा सकता है।

The final agreement will be signed by the Senior Manager / Manager (HR) of the NPCIL – Kaiga Site with the Visiting Consultant as the case may be approved for empanelment in the prescribed format as at Annexure-V.

(यह करार केवल सफ़ल बोलीदाता ही भरेंगे तथा यह आपकी सूचनार्थ करार की एक प्रतिदर्श प्रति है।
ONLY SUCCESSFUL BIDDER WILL FILL THIS AGREEMENT &
THIS IS ONLY A SPECIMEN COPY OF AGREEMENT FOR YOUR INFORMATION)

अनुलग्नक Annexure-V

सं.No.............एनपीसीआईएल, कैगा बिजली उत्पादन केंद्र, कैगा स्थल एवं

AGREEMENT

BETWEEN

NPCIL, KAIGA GENERATING STATION, KAIGA SITE

AND

डॉ DR. ____ के बीच करार

यह करार एनपीसीआईएल, कैगा बिजली उत्पादन केंद्र, कैगा स्थल, जिसका कार्यालय कैगा, डाक:कैगा, वाया: कारवार, ज़िला उत्तर कन्नड़, राज्य : करनार्टक में है के प्रथम पार्टी एवं डॉ. .... द्वितीय पार्टी के बीच माह ...., 2026 के .... दिन को तैयार किया गया एवं निष्पादित किया गया है।

This Agreement is made and executed on this________ day of _________, **2026** by and between NPCIL **Kaiga Generating Station, Kaiga Site** having its office at **Kaiga, Post: Kaiga, via: Karwar, Dist.: Uttara Kannada, State: Karnataka** of the First Party

AND

Dr. ____ of the Second Party.

जबकि, ''लाभार्थी'' के संदर्भ में अंशदायी स्वास्थ्य सेवाएं योजना एनपीसीआईएल एवं परमाणु ऊर्जा विभाग की अन्य इकाइयों के सभी सीएचएसएस लाभार्थियों को व्यापक चिकित्सा उपचार सुविधाएं प्रदान करा रही है।

WHEREAS, the Contributory Health Services Scheme is providing comprehensive medical care facilities to all CHSS beneficiaries of NPCIL and other Units of DAE referred to as "beneficiary".

तथा जबकि, एनपीसीआईएल रेफ़रल चिकित्सालयों के पैनल में शामिल देश भर के सभी चिकित्सलयों में लाभार्थियों को परामर्श उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। और जबकि, डॉ. ...., विज़िटिंग परामर्शदाता केजीएस चिकित्सालय में लाभार्थियों को .... देने के लिए सहमत हैं।

AND WHEREAS, NPCIL Empanelment of Referral Hospitals Scheme proposes to provide consultancy to the Beneficiaries in the Hospitals all over India. AND WHEREAS, *Dr.*___________________________________,*Visiting* Consultant agreed to give ____________________ to the Beneficiaries in the KGS Hospital.

अब, इसलिए, एतद्द्वारा पार्टियों के बीच सहमति निम्नानुसार है :

NOW, THEREFORE, IT IS HEREBY AGREED between the Parties as follows:

1. 0 सामान्य शर्तें GENERAL CONDITIONS

1.1 द्वितीय पार्टी लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत सेवाएं उपलब्ध करने के लिए प्रथम पार्टी को विज़िटिंग परामर्शदाता के रूप में परामर्श उपलब्ध कराएगी। The Second Party shall provide consultancy as visiting consultant to the First Party for providing the services under the Scheme to the beneficiaries.

1.2 द्वितीय पार्टी सहमत है कि चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने या निष्पादित करने में किसी भी चूक या लापरवाही के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी देयता का वहन केवल द्वितीय पार्टी द्वारा किया जाएगा, जो ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराने में दोष और /अथवा कमियों के लिए अकेले ही ज़िम्मेदार होगी। The Second Party agrees that any liability arising due to any default or negligence in providing or performance of the medical services shall be borne exclusively by the Second Party, which alone shall be responsible for the defect and / or deficiencies in rendering such services.

1.3 किसी भी प्राकृतिक आपदा/ महामारी, के मामले में, द्वितीय पार्टी, प्रथम पार्टी के प्राधिकारियों के साथ पूरी तरह सहयोग करेगी और उपचार उपलब्ध कराने के साथ - साथ सभी आवश्यक जानकारी संप्रेषित/प्रकट करेगी। In case of any natural disaster / epidemic, the Second Party shall fully cooperate with the authorities of the First Party and will convey / reveal all the required information, apart from providing treatment.

1.4 द्वितीय पार्टी, प्रथम पार्टी के नाम का उपयोग करते हुए कोई व्यावसायिक प्रचार नहीं करेगी। The Second Party will not make any commercial publicity projecting the name of the First Party.

1.5 द्वितीय पार्टी प्रथम पार्टी के लाभार्थी की केवल उसी स्थिति के लिए जाँच/उपचार करेगी जिसके लिए उसे रेफ़र किया गया है। इन रोगियों की अप्रत्याशित आपात स्थिति के मामले में, अनुमोदित उद्देश्य / प्रक्रिया के लिए भर्ती के दौरान ''आपातकालीन प्रावधान'' लागू होंगे। The Second Party will investigate/treat the beneficiary of the First Party only for the condition for which they are referred. In case of unforeseen emergencies of these patients during admission for approved purpose / procedure, “Provisions of Emergency" shall be applicable.

1.6 द्वितीय पार्टी प्रथम पार्टी के प्राधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना रोगी को अन्य विशेषज्ञ / अन्य चिकित्सालय में रेफ़र नहीं करेगी। जब भी रोगी को आगे रेफ़र करने की आवश्यकता होगी, तो संबंधित चिकित्सा अधीक्षक को इसकी पूर्व सूचना देनी होगी। The Second Party will not refer the patient to other specialist / other hospital without prior permission of authorities of the First Party. Prior intimation shall be given to concerned Medical Superintendent whenever patient needs further referral.

1.7 यह संविदा करार पर हस्ताक्षर होने की तिथि से तीन वर्ष के लिए वैध रहेगा। This contract will be valid up for three years from the date of signing the agreement.

1.8 द्वितीय पार्टी हफ्ते में एक बार / 15 दिन में एक बार / महीने में एक बार (एनपीसीआईएल अवकाशों को छोड़कर) शाम को तीन घंटों के लिए केजीएस चिकित्सालय में विज़िट करेगी। समय के बारे में अलग से सूचित किया जाएगा। The Second Party shall visit KGS Hospital for three hours in the evening **Weekly Once / Fortnightly once / Monthly once (except on NPCIL holidays).** Timings will be notified separately.

1.9 प्रथम पार्टी मासिक आधार पर द्वितीय पार्टी को प्रयोज्य वैधानिक कटौतियों के पश्चात परामर्श शुल्क का भुगतान करेगी। The First Party shall remit consultation fees to the Second Party on monthly basis after applicable statutory deductions.

1.10 बाहरी परामर्शदाताओं के मामले में, केजीएस चिकित्सालय तक आने व जाने की परिवहन सुविधा प्रथम पार्टी द्वारा दी जाएगी अथवा विज़िटिंग परामर्शदाताओं को प्रयोज्य नियमों के अनुसार परिवहन भत्ते की प्रतिपूर्ति की जाएगी। In case of outstation consultants, Transportation facility to KGS Hospital and back will be extended by the First Party or Transportation allowance to the visiting consultants will be reimbursed as per applicable rules.

1.11 प्रथम पार्टी के लाभार्थियों को फिजीशियन परामर्श उपलब्ध कराने के लिए प्रभारों / दरों की अनुसूची इस करार की वैधता के दौरान स्थिर निश्चित रहेगी। The schedule of charges / rates for providing **Physician** consultancy to beneficiaries of the First Party shall remain firm during the validity of this agreement.

1.12 प्रथम पार्टी के लाभार्थियों को उपलब्ध कराई गई चिकित्सा सुविधा की विस्तृत रिपोर्ट द्वितीय पार्टी द्वारा मासिक आधार पर प्रस्तुत की जाएगी। A detailed report of medical facility provided to all the beneficiaries of the First Party shall be submitted on monthly basis by the Second Party to the First Party.

1.13 प्रथम पार्टी के लाभार्थियों से संबंधित चिकित्सा डाटा का उपयोग किसी भी अध्ययन या किसी भी दस्तावेज/ लेख के प्रकाशन हेतु नहीं किया जाएगा। The Medical data with respect to beneficiaries of the First Party shall not be used for generating any studies or publication of any papers/articles.

1.14 प्रयोज्य कानून द्वारा इस करार को तैयार करने एवं प्रतिपादन करने को शासित किया जाएगा। The applicable laws shall govern the construction and interpretation of this Agreement.

2.0करार अवधि के दौरान विज़िटिंग परामर्शदाताओं की सत्यनिष्ठा एवं बाद्धयताएं

VISITING CONSULTANT'S INTEGRITY AND OBLIGATIONS DURING AGREEMENT PERIOD

द्वितीय पार्टी संविदा के अनुसार करार में निर्दिष्ट प्रदर्शन को प्राप्त करने हेतु अत्याधुनिक तरीकों और आर्थिक सिद्धांतों तथा सभी उपलब्ध साधनों के उपयोग के अनुसार सभी संविदात्मक दायित्वों का पालन करने हेतु ज़िम्मेदार और बाध्य है। द्वितीय पार्टी अपने कार्मिकों की गतिविधियों के प्रबंधन के लिए ज़िम्मेदार है और यदि कोई हो तो, उनके अपराध, लापरवाही, कदाचार अथवा सेवा में कमी के लिए वह स्वयं ही ज़िम्मेदार होगी। परामर्शदाता, चिकित्सालय में इस प्रकार के उपचार के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी चोट, विकलांगता, अंग की हानी, लापरवाही के कारण मृत्यु तथा अन्य चोटों के लिए लाभार्थियों को हर्जाना देने के लिए उत्तरदायी होना होगा। द्वितीय पार्टी के ऐसे किसी भी कृत्य या कृत्यों के लिए या लाभार्थियों को किसी भी प्रकार के हर्जाने या मुआवज़े के भुगतान के लिए प्रथम पार्टी को ज़िम्मेदार या जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा।

The Second Party is responsible for and obliged to conduct all contractual obligations in accordance with the Agreement using state-of-the-art methods and economic principles and exercising all means available to achieve the performance specified in the Agreement. The Second Party is responsible for managing the activities of its personnel and will hold itself responsible for their misdemeanors, negligence, misconduct or deficiency in services, if any.

The consultant shall be liable to pay damages to the beneficiaries, for any deficient services resulting into any injury, disablement, loss of part or death due to negligence and other injuries occurring in consequence to such treatment in the Hospital. The First Party shall not be held responsible or accountable for any such act or acts of the Second Party or for the payment of any damages or compensation to the beneficiaries whatsoever.

3.0 **समाप्ति TERMINATION**

3.1 इस करार को दोनों में से किसी भी पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को 30 दिनों की नोटिस की लिखित सूचना देकर समाप्त किया जा सकता है। This agreement can be terminated by either of the party by giving 30 days' notice in writing to the other party.

3.2 हालाँकि, प्रथम पार्टी, करार के उल्लंघन के लिए प्रतिकूल प्रभाव के बिना किसी अन्य उपाय के लिए, द्वितीय पार्टी को लिखित नोटिस देकर करार को पूर्णत: या आंशिक रूप से समाप्त कर सकती है: However, the First Party may, without prejudice to any other remedy for breach of Agreement, by written notice to the Second Party may terminate the Agreement in whole or part:

3.3 यदि द्वितीय पार्टी करार के अधीन अपने किसी दायित्व(दायित्वों) को निभाने में विफ़ल रहती है। If the Second Party fails to perform any of its obligation(s) under the Agreement.

3.4 प्रथम पार्टी के संज्ञान में यदि द्वितीय पार्टी करार को निष्पादित करने अथवा उक्त संविदा को प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा में भ्रष्ट या धोखाधड़ी की रीतियों में शामिल होती है। If the Second Party in the judgment of the First Party has indulged in corrupt or fraudulent practices in competing for or in executing the Agreement.

3.5 यदि द्वितीय पार्टी के द्वारा करार के प्रावधानों के किसी उल्लंघन की स्थिति में, जैसे कि (परंतु यहीं तक सीमित नहीं), सेवा से इनकार करना, पात्र लाभार्थियों को क्रेडिट सुविधा से इनकार करना तथा प्रथम पार्टी के लाभार्थियों से सीधे प्रभारों/शुल्क को वसूल करना, अधूरी या दोषपूर्ण सेवा और उपचार में लापरवाही बरतना। In case of any violation of the provisions of the Agreement by the Second Party such as (but not limited to), refusal of service, refusal of credit facilities to eligible beneficiaries and direct charging from the Beneficiaries of the First Party, deficient or defective service and negligence in treatment.

3.6 यदि द्वितीय पार्टी किसी अनैतिक, अवैध या ग़ैर-कानूनी गतिविधियों में सम्मिलित या जुड़ी हुई पाई जाती है तो, करार को प्रथम पार्टी द्वारा बिना किसी सूचना के सारांशत: निलंबित कर दिया जाएगा तथा उसके पश्चात कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर प्राप्त उसके उत्तर, यदि कोई हो तो, उस पर विचार करने के बाद करार को समाप्त किया जा सकता है। If the Second Party is found to be involved in or associated with any unethical, illegal or unlawful activities, the Agreement will be summarily suspended without any notice by the First Party and thereafter may terminate the Agreement, after giving a show cause notice and considering its reply if any, received within 10 days of the receipt of show cause notice.

4.0 क्षतिपूर्ति INDEMNITY

द्वितीय पार्टी हर समय, इस करार के अंतर्गत प्रथम पार्टी को अपने निष्पादन या उससे जुड़ी सेवाओं के संबंध में द्वितीय पार्टी द्वारा किए गए दावों को किसी भी कार्य के संबंध में उसके समक्ष लाए गए या लाए जाने वाले सभी कृत्यों, मुकदमों, दावों एवं मांगों के खिलाफ़ प्रथम पार्टी को क्षतिपूर्ति देना होगा तथा देते रहना होगा, प्रथम पार्टी को इसके लिए ज़िम्मेदार या आबंधकारी नहीं ठहराया जाएगा। The Second Party shall at all times, indemnify and keep indemnified the First Party against all actions, suits, claims and demands brought or made against it in respect of anything done or purported to be done by the Second Party in execution of or in connection with the services under this Agreement will not hold the First Party responsible or obligated.

5.0 भुगतान PAYMENT

सभी आवश्यक और समर्थन दस्तावेज़ों के साथ बिल प्रस्तुत करने की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर द्वितीय पार्टी को भुगतान किया जाएगा। कार्य अवार्ड किए जाने पर पार्टी द्वारा खाते का विवरण साझा किया जाएगा। The payment will be made to the Second Party within a period of 60 days from the date of submission of the bill accompanied with all necessary and supporting documents. Account details shall be shared by the party on award of work.

6.0 अवधि DURATION

यह करार 3 तीन वर्षों तक या संशोधित होने तक या रद्द होने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा। इस करार को दोनों पार्टियों की आपसी सहमति से अधिक अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। The Agreement shall remain in force up to 3 (three) years or till it is modified or revoked, whichever is earlier. The Agreement may be extended for a further period with mutual consent of the Parties.

7.0 मध्यस्थता ARBITRATION

पार्टियों को इस करार से यदि कोई विवाद/मतभेद होता है तो वे इस संबंध में समझौता ज्ञापन या संविदा या इसकी किसी शर्त एवं निबंधनों कोई व्याख्या या शर्त एवं निबंधनों के किसी भाग संबंधी समझौता ज्ञापन/सर्वोत्तम प्रयासों से या आपसी बातचीत द्वारा संविदा/ चर्चा से विवादों को सौहार्दपूर्णता से सुलझाएंगे, ऐसा न होने से विवाद को दोनों पार्टियों की आपसी सहमति से विवाद के समय नियुक्त व्यक्ति को एकल मध्यस्तता के लिए सौंपा जाएगा। If any dispute/ difference arising out of this Agreement the parties shall use their best efforts to settle all disputes amicably arising out of or in connection with this MoU / contract or its interpretation of any of the term and conditions or part of the terms and conditions of the MoU / contract by mutual negotiations / discussions, failing which the dispute shall be referred to the sole Arbitration of the person appointed through mutual consent of both the parties at the time of dispute.

8.0 विविध MISCELLANEOUS

8.1 इस करार के अंतर्गत किसी भी बात को प्रथम पार्टी एवं द्वितीय पार्टी के बीच कोई मालिक एवं अधीनस्थ या प्रमुख एवं एजेंट का कोई अधिकार या संबंध स्थापित या बनाया नहीं जाएगा। Nothing under this Agreement shall be construed as establishing or creating any right or any relationship of Master and Servant or Principal and Agent between the First Party and the Second Party.

8.2 द्वितीय पार्टी स्थिति, नाम में परिवर्तन आदि के संबंध में किसी भी परिवर्तन, यथा मामले, यदि इस प्रकार के परिवर्तन, इस करार के अंतर्गत द्वितीय पार्टी के दायित्वों के निष्पादन को प्रभावित करते हों, तो उसकी सूचना प्रथम पार्टी को दी जाएगी। The Second Party shall notify the First Party of any change as to the status, change of name etc. as the case may be, if such change would have an impact on the performance of obligation of the Second Party under this Agreement.

8.3 इस करार को दोनों पार्टियों के केवल लिखित एवं हस्ताक्षरित करार द्वारा ही संशोधित या परिवर्तित किया जा सकेगा। This Agreement can be modified or altered only on written agreement signed by both the parties.

8.4 यदि द्वितीय पार्टी समाप्त या विघटित या दिवालिया हो जाती है, तो प्रथम पार्टी करार को समाप्त करने का अधिकार होगा। करार की समाप्ति से द्वितीय पार्टी अथवा उसकी उत्तराधिकारी, उत्तरवर्ती, नियुक्त कानूनी प्रतिनिधियों को करार के अंतर्गत द्वितीय पार्टी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में देयता से मुक्त नहीं करेगी। If the Second Party is wound up or dissolved or become insolvent, the First Party shall have the right to terminate the Agreement. The termination of Agreement shall not relieve the Second Party or their heirs, successors, assigns and legal representatives from the liability in respect of the services provided by the Second Party under the Agreement.

8.5 द्वितीय पार्टी, करार के अंतर्गत कार्य करने के लिए अपने दायित्वों को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से, प्रथम पार्टी की पूर्व लिखित सहमति के अपवाद के, अपने विवेकानुसार और ऐसे नियमों और शर्तों पर, जिन्हें प्रथम पार्टी उचित समझें, किसी को नहीं सौंपेगी। तथापि, ऐसा कोई भी कृत्य द्वितीय पार्टी को इस करार के तहत उसके देयता या बाध्यताओं से मुक्त नहीं करेगा। The Second Party shall not assign, in whole or in part, its obligations to perform under the agreement, except with the prior written consent of the First Party at its sole discretions and on such terms and conditions as deemed fit by the First Party. However, any such assignment shall not relieve the Second Party from its liability or obligation under this agreement.

9.0 नोटिस/सूचनाएं NOTICES

9.1 इस करार के अंतर्गत एक पार्टी से दूसरी पार्टी को दिया गया कोई भी नोटिस /सूचना लिखित में स्पीड पोस्ट से अथवा अनुलिपि में, अथवा ई-मेल से प्रेषित किया जाएगा तथा मूल प्रति से पुष्टि के लिए डाक के माध्यम से दूसरी पार्टी को निम्नलिखित पते पर प्रेषित किया जाएगा। Any notice given by one party to the other pursuant to this Agreement shall be sent to other party in writing by Speed Post or by facsimile or by e-mail and confirmed by original copy through post to the other Party’s address as below.

प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/ प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, केजीएस चिकित्सालय, कैगा स्थल
Authorized Medical Officer/ Medical Officer In-Charge, KGS Hospital, Kaiga Site

डॉ. Dr. ____

____

____

जिसका साक्षी के रूप में, पार्टियों द्वारा इस करार पर उल्लिखित दिन, माह और वर्ष को हस्ताक्षर एवं निष्पादन किया गया।
IN WITNESSES WHEREOF, the parties have caused this Agreement to be signed and executed on the day, month and the year first above mentioned.

हस्ताक्षरकर्ता Signed by

एनपीसीआईएल कैगा स्थल के वरिष्ठ प्रबंधक(मा.सं.) एवं मुहर
Sr. Manager (HR) of NPCIL Kaiga Site & Seal
(प्रथम पार्टीFirst Party)

की उपस्थिति में(साक्षी) In the Presence of (Witnesses)

1.

2

हस्ताक्षरकर्ता Signed by

कृते एवं वास्ते डॉ. ....

For and behalf of **Dr.** ___________ ________ ____________________

विधिवत प्राधिकृत संकल्प सं. .... दिनांकित .... का संदर्भ लें।

Duly authorized vide Resolution No. .... dated ....

डॉ. .... एवं मुहर

of **Dr.** ___________ ________ ________ & Seal

(द्वितीय पार्टी Second Party)

की उपस्थिति में(साक्षी) In the presence of (Witnesses)

1.

2.